पंजीकृत

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
e Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
Phone/ Fax:- 05962-23003 E-mail:eepdalmora@rediff.com
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 627 / 50सी दिनांक 4. ~~फरवरी~~ मार्च 2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत

विषयः **जनपद अल्मोड़ा में राज्य योजना के अंर्तगत ज्वारनैणी से बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.8338 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ: **भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या 8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 61 / 2015 / एफ0सी0 / 1525 दिनॉक 08.10.2015 व कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून का पत्र सं0 1153/FP/UK/ROAD/9552/2015 दिनॉक 15 अक्टूबर 2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत है।

1. शर्त संख्या--1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 9.6676 या 9.700 है0 ग्राम–मल्ला भट्यूड़ा (1.733 है0), पजैना (2.070 है0), उड़ियारी (2.089 है0) एवं चिरातिनमिना (1.808 है0) सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू 20,24,067.00(रू बीस लाख चौबीस हजार सड़सठ) मात्र उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में कॉरपोरेशन बैक, बैंगलौर में जमा की जा चुकी है(जमा की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु चालान की छाया प्रति संलग्न है।)।

1.1 भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–1 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम–मल्ला भट्यूड़ा (1.733 है0), पजैना (2.070 है0), उड़ियारी (2.089 है0) एवं चिरातिनमिना (1.808 है0) जिसका क्षेत्रफल 9.700 है0 है, को जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश सं0 3331 / ग्यारह–38 / 2015–16, दिनॉक 23 फरवरी, 2016 के क्रम में वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नागान्तरित की जा चुकी है(आदेश की प्रति संलग्न है)। प्रभागीय वनाधिकारी उक्त भूमि को अपने कब्जे में लिये जाने का प्रमाण पत्र अपने स्तर से नोडल कार्यालय देहरादून को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू 31,75,807.00(रू इकतीस लाख पिचहत्तर हजार आठ सौ सात) मात्र उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में कॉरपोरेशन बैक, बैंगलौर में जमा की जा चुकी है(जमा की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु चालान की छाया प्रति संलग्न है।)।

3. बिन्दु सं0 3 के क्रम में एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण व मार्ग के दोनों ओर खाली पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की देय धनराशि ऑनलाईन चालान जनरेट कर उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में कॉरपोरेशन बैक, बैंगलौर में जमा की जा चुकी है(जमा की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु चालान की छाया प्रति सलग्न है।)।

4. शर्त संख्या -3 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होने पर धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धित बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित है।

5. शर्त संख्या- 4 के अनुपालन में देय धनराशियों को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी नोडल अधिकारी, देहरादून के पत्रांक 2090 / एफ0पी0 / यू0के0 / रोड / 10480 / 2015 देहरादून दिनॉक 20 जनवरी 2016 के निर्देशानुसार ऑनलाईन चालान जनरेट कर चालान में उल्लिखित कॉरपोरेशन बैक बैगलौर में उत्तराखण्ड कैम्पा के पक्ष में जमा किया जा चुका है(जमा की गयी धनराशि की पुष्टि हेतु चालान की छाया प्रति संलग्न है।)।

6. बिन्दु सं0 5 के अनुपालन में सड़क के दोनों किनारों(जहॉं सम्भव हो) मे वृक्षारोपण करने सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।

क्रमशः पृष्ठ सं0–2

सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों के सन्दर्भ में निदेशक, पर्यावरण, वन एवं मौसम परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र सं0 11–306/2014–FC दिनॉक 08 अगस्त, 2014 एवं अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन का पत्र सं0 4949/III(2)14–03(सामान्य)/2008 टी0सी0, देहरादून दिनॉक 08 सितम्बर 2014 के क्रम में यह दिशा निर्देश दिये गये हैं, कि जिन प्रकरणों में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है और एन0पी0वी0 आदि देयकों के भुगतान सहित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि का नामान्तरण हो चुका है, उन मामलों में विधिवत स्वीकृति की प्रतिक्षा किये बिना पेड़ों का छपान/कटान कराया जा सकता है और मौके पर कार्य भी प्रारम्भ किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही साथ मार्ग में प्रभावित वृक्षों का छपान/कटान एवं मार्ग निर्माण करने की अनुमति प्रदान करने हेतु नोडल अधिकारी देहरादून को लिखने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार 3–3 प्रतियों में।

भवदीय

3/16

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

तद्दिनांकित।

पत्रांकः– /

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालौनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 11-02-2016

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	ROAD95522015732
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division P.W.D., AlmoraAlmora
Amount(in Rs)	8420894/-

Amount in Words Eighty-Four Lakh Twenty Thousand Eight Hundred and Ninety-Four Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	15089ROAD95522015732
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore 21/1, 3rd floor Jellita Towers Mission Road Bangalore -560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Print

Ref No. ROAD95522015732

Ref dt. 26/02/2016.

Day Sl - 1

Corporation Bank Almora अल्मोड़ा

81/2015 ov? 3/9381/2015) gher Motor	ROAD93812015879	11393812015879	06 Nov 2015	CA: 1046900/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 2056410/- , gap filling : 964000/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 4067310/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 06 Jan 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 07 Jan 2016 Transaction Date : 10 Mar 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11141243121ST[illegible] Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCor pid=ROAD93812015879)
/2015 ? 9552/2015) otor Road	ROAD95522015732	11395522015732	08 Oct 2015	CA: 2024067/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3175807/- , road site plantation : 3221020/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 8420894/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 11 Feb 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 11 Feb 2016 Transaction Date : 02 Mar 2016	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2111112361211K8CUWd Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCor pid=ROAD95522015732)
/2014 ? 8260/2014) alitan to to Connect Pokhari	ROAD82602014629	11382602014629	01 Jul 2015	CA: 356642/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1053715/- , Road side Plantation : 277200/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 1687557/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 18 Mar 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 18 Mar 2016 Transaction Date : 15 Sep 2015	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3111712391216NM891cf Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCor pid=ROAD82602014629)

योजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा जागेश्वर के अंर्तगत ज्वारनैणी से बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई– 10.00 कि0मी0

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोत्तरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

5/3/16

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम–जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा जागेश्वर के अंर्तगत ज्वारनैणी से बुकसाड़ मोटर मार्ग लम्बाई– 10.00 कि0मी0

मार्ग के दोनों किनारों पर(जहाँ सम्भव हो) वृक्षारोपण किये का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Cental Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जायेगी।

4/3/16

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

आदेश

जनपद अल्मोड़ा के अर्न्तगत प्रस्तावित **ब्वारनौली-बुकसाड़** मोटरमार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली **4.8338 हैक्टयर** वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि को नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध मे कार्यालय तहसीलदार, जैती के पत्रांक मैमो/रा0का0/2015-16, दिनांक 01-12-2015 के द्वारा शासक विभाग को प्रेषित की गई आख्या एवं उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली के पत्र संख्या मैमो/का0भूमि/रा0का0/2015 दिनांक 06-02-2016 के द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्ताव मे उक्त प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित की गई भूमि के अभिलेखों जिसमे प्रस्तावित मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध मे संलग्न शासन द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र, संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, तहसीलदार जैती की रिपोर्ट एवं उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित की गई भूमि की खतौनी प्रति तथा प्रस्तावित की गई भूमि का मौका नक्शा एवं उक्त प्रयोजन हेतु प्राप्त आख्या व अभिलेखों के आधार पर निम्नवत राजस्व ग्रामों मे क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु भूमि प्रस्तावित की गयी है-**ग्राम-उडियारी, पटवारी क्षेत्र गणाऊँ, तहसील -जैती** के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-41 की श्रेणी-9(3)ड " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न0 2788 म0-0.247है0, खेत न0 2790 रक्वा-0.092 है0, खेत न0 2792 रक्वा-0.032 है0, खेत न0-2797 रक्वा-0.085 है0, खेत न0-2799 रक्वा-1.633 है0, इस प्रकार **कुल 2.089 हैक्टयर** तथा **ग्राम चिरातिनमिना, पटवारी क्षेत्र-गणाऊँ, तहसील-जैती** के खतौनी खाता संख्या-23 की श्रेणी-9(3)ड " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न0 431 म0-0.017है0, खेत न0 434 रक्वा-0.092 है0, खेत न0 436 रक्वा-0.210 है0, खेत न0-438 रक्वा-0.087 है0, खेत न0-440 म0-0.266 है0, खेत न0 442 रक्वा-0.207है0, खेत न0 449 रक्वा-0.070 है0, खेत न0 453 रक्वा-0.016 है0, खेत न0-455 रक्वा-0.208 है0, खेत न0-461 म0-0.180 है0, खेत न0 472 म0-0.016 है0, खेत न0 485 रक्वा-0.011 है0, खेत न0 514 रक्वा-0.071 है0, खेत न0-516 रक्वा-0.010 है0, खेत न0-522 म0-0.147 है0 इस प्रकार **कुल-1.808 हैक्टयर** एवं **ग्राम-पजैना, पटवारी क्षेत्र बकरवाड़, तहसील -जैती** के खतौनी खाता संख्या-21 की श्रेणी-9(3)ड " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न0 3151 म0-0.550 है0, खेत न0 3152 रक्वा-0.360 है0, खेत न0 3156 रक्वा-0.073 है0, खेत न0 3160 मध्ये-0.080 है0, खेत न0-3168 रक्वा-0.035 है0, खेत न0 3180 रक्वा-0.011 है0, खेत न0 3174 रक्वा-0.043 है0, खेत न0 3209 रक्वा-0.030 है0, खेत न0 3211 मध्ये-0.340 है0, खेत न0 3212 रक्वा-0.160 है0, खेत न0 3217 रक्वा-0.088 है0, खेत न0 3187 रक्वा-0.300 है0, इस प्रकार **कुल-2.070 हैक्टयर** तथा **ग्राम मल्ला-भट्यूड़ा, पटवारी क्षेत्र-जैती, तहसील-जैती** के खतौनी खाता संख्या-28 की श्रेणी-9(3)ड़ " बंजर काबिल आबाद " के पैमायसी खेत न0 2346 रक्वा-2.365 है0, खेत न0 2227 रक्वा-1.368 है0, **कुल-3.733 हैक्टयर** इस प्रकार उक्त प्रयोजन हेतु **कुल 9.700 हैक्टयर** सिविल भूमि को क्षतिपूरक-वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित की गई भूमि को वन विभाग के **प्रशासनिक नियन्त्रण** मे नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, जैती कृ0 तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों मे अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

ह0/-
(सविन बंसल)
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा
संख्या 333 / ग्यारह-38 / 2015-16, दिनांक 23, फरवरी, 2016

प्रतिलिपि-निम्नाकिंतो को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा ।
2- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3- उप जिलाधिकारी, जैती/भनोली, जनपद-अल्मोड़ा ।
4- तहसीलदार, जैती को उपरोक्तानुसार अनुपालन किये जाने हेतु ।

19.02

प्रभारी अधिकारी,
जिला अधिकारी, अल्मोड़ा

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :— जनपद–अल्मोड़ा में राज्य योजना अंतर्गत ज्वारनैणी सं बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.8338 हे0 वन भूमि के सापेक्ष 9.70 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण)

1–उडियारी सिविल–2.091 हे0, 2– चिरातिनमिना–1.813 हे0 3–पजैना सिविल– 2.063 हे0, 4– मल्ला मट्यूड़ा– 3.733 हे0 – सिविल भूमि का कुल हे0–9.70 हे0

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :— 10670 पौधे (1100 पौधे प्रति हे0)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	9.700	हे0	97.00	940.90
2	क्षेत्र की सफाई (झाडी कटान आदि)	9.700	हे0	584.00	5664.80
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 84 घनमीटर प्रति हे0 की दर से = 84 X 9.7 हे0 = 814.8 घमी0	814.80	धन मी0	315.00	256662.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालो का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान (पूर्ण)	9.700	हे0	7750.00	75175.00
5	गड्ढ खुदान (0.30x0.30x0.45) 2000 प्रति सैकडा गढढा	10670	गड्ढे	7.33	78211.10
6	निरीक्षण बटिया बनना	9.700	हे0	485.00	4704.50
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	10670	पौधे	5.89	62846.30
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र संयन्त्र, औजार तेज करना एवं कार्यो पर व्यय	L/S	L/S	L/S	100000.00
9	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	150000.00
	योग – प्रथम चरण				**734204.60**
	द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	10670	गड्ढे	1.15	12270.50
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	10670	पौधे	1.15	12270.50
3	पौध ढुलान कार्य	10670	पौधे	6.39	68181.30
4	पौध रोपण व थालाबन्दी	10670	पौधे	2.06	21980.20
5	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	10670	पौधे	0.76	8109.20
6	खाद व दवा पर व्यय प्रति सेकड़ा पौधा	10670	पौधे	0.210	2240.70
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख–रेख व रखरखाव पर व्यय	9.70	हे0	4768.00	46249.60
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत				
	सूखे घाट फूस एवं ज्वलनशील पदर्थो का हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा मे उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	9.70	हे0	400.00	3880.00

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम :- जनपद-अल्मोड़ा में राज्य योजना अंतर्गत ज्वारनैणी सं बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.8338 है0 वन भूमि के सापेक्ष 9.70 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण)

1-डढियारी सिविल-2.091 हे0, 2- चिरातिनमिना-1.813 हे0 3-पजैना सिविल- 2.063 हे0, 4- मल्ला मट्यूड़ा- 3.733 हे0 - सिविल भूमि का कुल हे0-9.70 है0

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या :- 10670 पौधे (1100 पौधे प्रति हे0)

क0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	योग
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमाकन	9.700	हे0	97.00	940.90
2	क्षेत्र की सफाई (झाडी कटान आदि)	9.700	हे0	584.00	5664.80
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 84 घनमीटर प्रति हे0 की दर से = 84 X 9.7 हे0 = 814.8 घमी0	814.80	धन मी0	315.00	256662.00
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल--खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान (पूर्ण)	9.700	हे0	7750.00	75175.00
5	गड्ढ खुदान (0.30x0.30x0.45) 2000 प्रति सैकडा गढढा	10670	गड्ढे	7.33	78211.10
6	निरीक्षण बटिया बनना	9.700	हे0	485.00	4704.50
7	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	10670	पौधे	5.89	62846.30
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र संयन्त्र, औजार तेज करना एवं कार्यो पर व्यय	L/S	L/S	L/S	100000.00
9	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	150000.00
	योग - प्रथम चरण				**734204.60**
	द्वितीय चरण				
1	गड्ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	10670	गड्ढे	1.15	12270.50
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष)	10670	पौधे	1.15	12270.50
3	पौध ढुलान कार्य	10670	पौधे	6.39	68181.30
4	पौध रोपण व थालाबन्दी	10670	पौधे	2.06	21980.20
5	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार)	10670	पौधे	0.76	8109.20
6	खाद व दवा पर व्यय प्रति सेकडा पौधा	10670	पौधे	0.210	2240.70
7	प्रथम वर्ष में वृक्षारोपण की देख--रेख व रखरखाव पर व्यय	9.70	हे0	4768.00	46249.60
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत				
	सूखे घाट फूस एवं ज्वलनशील पदर्थो का हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा मे उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	9.70	हे0	400.00	3880.00

9	अन्य व्यय साइन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचाने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य।	9.70	हे0	700.00	6790.00
	अन्य कार्य	L/S	हे0	L/S	150000.00
	योग– द्वितीय चरण				**337549.50**
	कुल योग प्रथम एवं द्वितीय चरण		हे0		**1071754.10**
	तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (9044 X 12 / 9) =	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	30000.00
	योग – तृतीय चरण				**109898.90**
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह 12 X 9044 / 10 = 10852	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एव ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	**2182.50**
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	30000.00
	योग – चतुर्थ चरण				**109898.90**
	पंचम चरण				

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3.	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	25000.00
	योग – पंचम चरण				**104898.90**
	षष्टम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	9.70	L/S	L/S	25000.00
	योग – षष्टम चरण	9.70			**104898.90**
	सप्तम चरण	9.70			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50

	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	25000.00
3	**योग – सप्तम चरण**				**104898.90**
	सप्तम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	25000.00
	योग – सप्तम चरण				**104898.90**
	अष्टम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	25000.00
	योग – अष्टम चरण				**104898.90**
	नवम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00

	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	25000.00
	योग – नवम चरण				**104898.90**
	दशम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	9.70	हे0	7152.00	69374.40
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति हे0	9.70	हे0	350.00	3395.00
	2.2 सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना 2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना	9.70	हे0	225.00	2182.50
	अ– प्रशिक्षण	9.70	हे0	310.00	3007.00
	ब– प्रोत्साहन	9.70	हे0	200.00	1940.00
3	अन्य कार्य	L/S	L/S	L/S	25000.00
	योग – दशम चरण				**104898.90**
				कुल योग	**2025844.20**
				अथवा	**2024067.00**

Randpal

प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
Office of the Executive Engineer , PWD, Almora Uttarakhand
E-mail :eepdalmora@rediff.com

पत्रांक 1710 /7 सी0 दिनांक 15 जुलाई 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग,
चम्पावत।

विषयः जनपद अल्मोड़ा राज्य योजना के अंतर्गत ज्वारनैणी से बुकसाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.8338 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन(प्रस्ताव सं0 9552/2015)

संदर्भः भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं0 08बी0/यू0सी0पी0/06/61/2015/एफ0सी0/272 दिनॉक 31.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा भारत सरकार द्वारा उक्त मोटर मार्ग के संबंध में निम्न तीन बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, निम्नानुसार बिन्दुवार आख्या निम्नवत हैः–

क्रम सं0	आपत्ति	निराकरण
1	The stage 1 approval was accorded in the yearof 2015.However,submission of Stage-1 compliance has been submitted after a period of more than 5 years. Hence, the State Govt has to deposit the balance amount of NPV as prescribed by the Hon'ble Supreme Court of India and the guideline issued by the MoEF&CC in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत के कार्यालय पत्र सं0 3051/12–1 दिनॉक 09.01.2024 से पुनरीक्षित एन0पी0वी0 रू 16,83,177.00 का डिमाण्ड नोट इस कार्यालय को प्रेषित किया गया था। इस कार्यालय द्वारा रू 16,83,177.00 की धनराशि उत्तरॉचल कैम्पा के पक्ष में चालान के माध्यम से यूनियन बैंक में जमा करा दी गयी है। **(चालान की प्रति संलग्न)**
2	The State Govt. is requested to submit the copy of notification regarding declaration of the CA area as RF/PF.	राजस्व विभाग द्वारा दिनॉक 22.06.2024 को सी0ए0 भूमि का कब्जा को वन विभाग के प्रतिनिधि को सौंफ दिया गया है **(कब्जा प्रमाण पत्र संलग्न)**। सी0ए0 भूमि का नोटिफिकेशन आपके स्तर से किया जाना है।

On the perusal of KML it is observed that the road cutting work has been carried out on a different alignment. Hence, the concerned DFO shall inspect the area and submit a detailed report clearly mentioning whether the tree felling and road cutting work has been carried out as per the actual demarcation of the trees and the road on the ground and if so the reasons for the error in the KML file submitted.	मोटर मार्ग का निर्माण जिस संरेखण से किया जाना था एवं जिस संरेखण में वृक्षों की गणना एवं पातन का कार्य हुआ था, वही निर्धारित संरेखण से लो0नि0वि0 द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। दिनॉक 16.01.2024 को उक्त संरेखण की जॉच वन विभाग द्वारा कर ली गयी है। उक्त के संबंध में शेष आख्या आपके स्तर से दी जानी है। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र घाटीनुमा होने के कारण जी0पी0एस0 से सटीक निर्देशांक उपलब्ध न हो पाने के कारण के0एम0एल0 में त्रुटि हुयी है।

ंलग्नः– उपरोक्तानुसार

अतः अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रिम आवश्यक ार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,

15/7/24

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा

त्रांक 1710 /7सी0 तद्दिनॉकित

तिलिपि–सहायक अभियन्ता(षष्ट्म), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

15/7/24

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 06-07-2024

...t Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
...itter Name.	EXECUTIVE ENGINEER
...Application No.	6195520078
...EF/SG File No.	8B/UCP/06/61/2015-FC
Address.	Provincial Division P.W.D., Almora Almora
...itter Contact No. ...il-Id. ...ile No. ...dline No.	eepdalmora@rediffmail.com 7533877888 5962-2320033
...ount(in Rs)	1683177/-
...eficiary Branch ...d Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

...ount in Words:Sixteen Lakh Eighty-Three Thousand One ...ndred and Seventy-Seven Rupees Only

S/- 6/7/24

...sitor Signature — Bank Official (Signature)

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० अल्मोड़ा

...'s Transaction Number	Branch Stamp

- ...ranches should use CMS menu (FCS & CAPS) ...o process the transaction
- ...hallan should only be accepted against INST/DD.
- ...ter the Remitter Name in Additional ...formation 1
- ...ter the Remitter Mobile number in Additional ...formation 2

CAMPA-MOEF Copy

यूनियन बैंक Union Bank of India

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 06-07-2024

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	EXECUTIVE ENGINEER
PIF/Application No.	6195520078
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/61/2015-FC
Address.	Provincial Division P.W.D., AlmoraAlmora
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepdalmora@rediffmail.com 7533877888 5962-2320033
Amount(in Rs)	1683177/-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

Amount in Words :Sixteen Lakh Eighty-Three Thousand One Hundred and Seventy-Seven Rupees Only

S/- 6/7/24

Depositor Signature (Signature) — Bank Official (Signature)

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० अल्मोड़ा

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

...aking successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpde...

...ter making the required payment through challan, if the payment status has not been updated ...ter 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference ...ail: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionban...

01602024071168 8067

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India Almora Branch अल्मोड़ा शाखा

11/07/2024

कब्जा प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ज्यारनैणी–बुकसाड़ मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित **ग्राम–उडियारी, पटवारी क्षेत्र–गणाऊँ, तहसील–जैंती** के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–41 श्रेणी–9(3)ड़0 बंजर काबिल आबाद के पैमायसी खेत संख्या 2788म0–0.247है0, 2790 रकबा–0.092 है0, खेत संख्या 2792–0.032 है0, खेत संख्या 2797 रकबा–0.085 है0, खेत संख्या 2799 रकबा–1.633 है0 **कुल 2.089 है0 ग्राम–चिरातिनमिना, पटवारी क्षेत्र–गणाऊँ, तहसील–जैंती** के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–23 श्रेणी–9(3)ड़0 बंजर काबिल आबाद के पैमायसी खेत संख्या 431म0– 0.017 है0, खेत संख्या 434 रकबा– 0. 092 है0, खेत संख्या 436 रकबा–0.210 है0, खेत संख्या 438 रकबा–0.087 है0, खेत संख्या 440 रकबा–0.266 है0, खेत संख्या 442 रकबा–0.207 है0, खेत संख्या 449 रकबा–0.070 है0, खेत संख्या 453 रकबा –0.016 है0, खेत संख्या 455 रकबा–0.208 है0, खेत संख्या 461 रकबा–0.180 है0, खेत संख्या 472 रकबा–0.016 है0, खेत संख्या 485 रकबा–0.011 है0, खेत संख्या 514 रकबा–0.071 है0, खेत संख्या 516 रकबा–0.010 है0, खेत संख्या 522 रकबा– 0.147 है0 **इस प्रकार कुल 1.808 है0** एवं **ग्राम–पजैना, पटवारी क्षेत्र बकस्वाड़, तहसील जैंती** के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–21 श्रेणी–9(3)ड़0 बंजर काबिल आबाद के पैमायसी खेत संख्या खेत संख्या 3151 म0– 0.550 है0, खेत संख्या 3152 रकबा –0.360 है0, खेत संख्या 3156 रकबा–0.073 है0, खेत संख्या 3160 रकबा–0.080 है0, खेत संख्या 3168 रकबा– 0.035 है0, खेत संख्या 3180 रकबा–0.011 है0, खेत संख्या 3174 रकबा–0.043 है0, खेत संख्या 3209 रकबा–0.030 है0, खेत संख्या 3211 रकबा–0.340 है0, खेत संख्या 3212 रकबा–0.160 है0, खेत संख्या 3217 रकबा–0.088 है0, खेत संख्या 3187 रकबा–0.300 है0 **इस प्रकार कुल 2.070 है0** तथा **ग्राम–मल्ला भट्यूड़ा, पटवारी क्षेत्र–जैंती, तहसील–जैंती** के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–28 श्रेणी–9(3)ड़0 बंजर काबिल आबाद के पैमायसी खेत संख्या खेत संख्या 2346 रकबा–2.365 है0, खेत संख्या 2227 रकबा–1.368 है0 **कुल 3.733 हैक्टेयर इस प्रकार कुल 9.700 है0** सिविल भूमि जिलाधिकारी अल्मोड़ा के आदेश सं0 3331/ग्यारह–38/2015–16 दिनॉक 23 फरवरी 2016 द्वारा वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नामान्तरित कर दी गयी है। आज दिनॉक 22.06.2024 को उक्त भूमि का कब्जा वन विभाग को दे दिया गया है।

कब्जा दिया

तहसीलदार
तहसीलदार
जैंती

R.S.! भारत्वाल/बकस्वाड़

R.S.। जैंती

R.S. गणाऊं

कब्जा प्राप्त किया वन क्षेत्राधिकारी

3048
7.N
6.11.24

(1)

संशोधित आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 3331/ग्यारह–38/2015–16, दिनांक 23 फरवरी,2016 द्वारा जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित ज्याड़नैणी–बुकसाड़ मोटा मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.8338 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु ग्राम उडियारी पटवारी क्षेत्र गणाऊँ के खाता संख्या–41 की कुल **2.089 है0 भूमि** तथा ग्राम चिरातिनमिना, पटवारी क्षेत्र गणाऊँ के खाता संख्या–23 की **कुल 1.808 है0** भूमि व ग्राम पजैना, पटवारी क्षेत्र बकरवाड के खाता संख्या–21 की **कुल 2.070 है0** भूमि एवं ग्राम मल्ला भट्यूड़ा, पटवारी क्षेत्र जैंती के खाता संख्या– 28 की **3.733 है0** भूमि इस प्रकार उक्त चारों खातों की **कुल 9.700 है0** सिविल भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा पत्र संख्या 2768/7सी दिनांक 06 नवम्बर,2024 से अवगत कराया गया है कि जनपद अल्मोड़ा में ज्यारनैड़ी–बुकसाड़ मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम उडियारी, चिरातिनमिना, पजैना, मल्ला भट्यूड़ा तहसील जैंती, जिला अल्मोड़ा में कुल 9.700 है0 भूमि के सापेक्ष 9.500 है0 भूमि उक्त आदेश दिनांक 23–02–2016 से वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नामान्तरित हुयी है। ग्राम चिरातिनमिना के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–23 खेत सं0 434 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 0.292 है0 ली गयी है किन्तु भूलवश उक्त आदेश में खेत संख्या 434 का क्षेत्रफल 0.092 अंकित हो गया है। जिसे ग्राम चिरातिनमिना के खाता संख्या– 23 के खेत सं0 434 का क्षेत्रफल 0.292 है0 संशोधित किया ज़ाना है।

अतः उक्तानुसार अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा की आख्या के आधार पर पारित कार्यालय आदेश संख्या 3331/ग्यारह–38/2015–16, दिनांक 23 फरवरी,2016 में प्रस्तावित ग्राम चिरातिनमिना के खाता संख्या–23 के खेत नं0 434 रकवा 0.092 है0 के स्थान पर आंशिक संशोधित किया जाता है कि "ग्राम चिरातिनमिना, पटवारी क्षेत्र गणाऊँ, तहसील जैंती के खतौनी खाता संख्या–23 की श्रेणी 9(3)ड़ "बंजर काबिल आबाद" के पैमायशी खेत नं0 434 रकवा 0.292 है0 भूमि पढ़ा जाय"।

उक्त सम्बन्ध में कार्यालय आदेश दिनांक 23 फरवरी,2016 में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगें।

दिनांकः 14/11/2024

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या– 1064/ग्यारह–38/2015–16, दिनांकः 16 नवम्बर,2024

प्रतिलिपिः निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा ।
3– उप जिलाधिकारी, जैंती–भनोली, जनपद अल्मोड़ा।
4– तहसीलदार, जैंती ।
5– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

(आलोक कुमार पाण्डेय)
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

AE III / अभियं

16/11/24

कब्जा प्रमाण पत्र

जनपद अल्मोड़ा में ज्यांरनैणी–बुकसाड मोटर मार्ग के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम उडियारी, तहसील–जैंती की कुल 2.089 है0 भूमि, ग्राम चिरातिनमिना की कुल 1.608 है0 भूमि, ग्राम पजैना की कुल 2.070 है0 भूमि एवं ग्राम मल्ला भट्यूड़ा की कुल 3.733 है0 भूमि इस प्रकार कुल 9.500 है0 सिविल भूमि का कब्जा दिनॉक 22.06.2024 को वन विभाग को दे दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं0 3331/ग्यारह–38/2015–16 दिनॉक 23 फरवरी 2016 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि को वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में नामान्तरित किये जाने के आदेश में ग्राम चिरातिनमिना, पटवारी क्षेत्र गणाऊॅ, तहसील जैंती, जिला अल्मोड़ा के खाता सं0 23 के खेत सं0 434 का रकबा त्रुटिवश 0.092 अंकित हो गया था। वर्तमान में जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं0 1064/ग्यारह–38/2015–16 दिनॉक 16 नवम्बर 2024 द्वारा खाता सं0 23 के खेत सं0 434 का रकबा 0.292 नामान्तरण किये जाने हेतु आदेश संशोधित कर दिया है। पूर्व में उक्त खेत सं0 434 के कुल क्षेत्रफल में से 0.092 है0 भूमि का कब्जा वन विभाग हस्तगत कर दिया गया है वर्तमान में आज दिनॉक 30.11.2024 को ग्राम चिरातिनमिना, पटवारी क्षेत्र गणाऊॅ, तहसील जैंती, जिला अल्मोड़ा के खाता सं0 23 के खेत सं0 434 का अवशेष रकबा 0.200 है0 वन विभाग को दे दिया गया है।

कब्जा दिया	**कब्जा प्राप्त किया**
30/11/24	30/11/2024
राजस्व उप निरीक्षक	
क्षेत्र गणाऊॅ/नवरत्नांस	